प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वतीय अपील सं. 286/2002

1.क हरि राम, पिता- स्वर्गीय बारी, आयु- लगभग 55 वर्ष,

1.ख रामकरण, पिता- स्वर्गीय बारी, आयु- लगभग 45 वर्ष,

1.ग दशरथ राम, पिता- स्वर्गीय बारी, आयु- लगभग 40 वर्ष,

1.घ पवन कुंवर, पति- भीखारी, आयु- लगभग 50 वर्ष,

सभी निवासी- ग्राम- बबौली, पोस्ट बबौली, तहसील- लुण्ड्रा, जिला- सरगुजा (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. भोलो, पति- स्वर्गीय पूरन गोंड,

3- शिव कुमार, पिता- स्वर्गीय पूरन गोंड,

दोनों निवासी- ग्राम- बबौली, तहसील- लुण्ड्रा, जिला- सरगुजा (छ.ग.)

(वादी सं.2 के विधिक प्रतिनिधि)

----अपीलार्थी/वादी

बनाम

1. श्रीमती केन्दी, पत्नी- घासी गोंड, पिता- सुंदर गोंड, आयु- 46 वर्ष, व्यवसाय- कृषि, निवासी- गाँव बबौली, तहसील लुण्ड्रा, जिला- सरगुजा (छ.ग.)

2. मध्य प्रदेश राज्य (अब छ.ग.), द्वारा- कलेक्टर सरगुजा, जिला- अंबिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

(प्रोफॉर्मा प्रतिवादी सं. 2)

---- उत्तरवादी

अपीलार्थियों की ओर से : श्री ए. के. प्रसाद, अधिवक्ता

उत्तरवादी सं. की ओर से : सुश्री प्रियंका मेहता, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल

पीठ पर आदेश

19/09/2018

(1) इस वादी की द्वितीय अपील में सम्मिलित, तैयार किए गए और जवाब दिए जाने वाले विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न निम्नानुसार हैः

"1. क्या अधीनस्थ अपीली न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित एक तर्कपूर्ण निर्णय और डिक्री को उलट देना न्यायसंगत था?

2. क्या अधीनस्थ अपीली न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की कि प्रतिवादी सं. 1 को उसके पिता ने उसकी शारीरिक अक्षमता (एक आंख के कारण) के कारण हिस्सा दिया था और इस तरह वह वाद भूमि के एक तिहाई हिस्से की स्वामीनी बन गई?"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(सुविधा हेतु पक्षकारों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद में दर्शाई गई उनकी स्थिति के अनुसार एतस्मितन पश्चात संबोधित किया जाएगा)।

(2) इस अपील के निर्णय के लिए जिन अनिवार्य तथ्यों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, वे इस प्रकार हैंः

(2.1) मूल वादियों ने वादपत्र के साथ संलग्न अनुसूची '**C**' में दर्शाई गई कृषि भूमि के संबंध में स्वामित्व और स्थायी निषेधाज्ञा की घोषणा के लिए एक व्यवहार वाद प्रस्तुत किया जिसमें अन्य बातों के साथ यह कहा गया था कि- साथ वादपत्र के साथ संलग्न अनुसूची '**A**' में दर्शाई गई भूमि स्वर्गीय भाऊसा गोंड की स्व-अर्जित संपत्ति थी और पक्षकार जाति के आधार पर गोंड हैं, जिसमें बेटी को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार

नहीं मिलता है। आगे यह अभिवाक् किया गया कि स्वर्गीय भाउसा गोंड की मृत्यु के बाद, उसके दो बेटे बंशीधारी और सुंदर उसकी पूरी संपत्ति के उत्तराधिकारी बने, जिनके द्वारा वादपत्र की अनुसूची '**B**' में दर्शाई गई भूमि बंशीधारी को दी गई थी, जबकि वादपत्र की अनुसूची '**C**' में दर्शाई गई भूमि सुंदर को दी गई थी।

(2.2) वर्ष 1983 में सुंदर की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद बारी और पूरन नामक वादी वादपत्र की अनुसूची **"C**" में दर्शाई गई भूमि के उत्तराधिकारी बने। आगे यह अभिवाक् किया गया है कि प्रतिवादी सं. 1- कुंती बाई सुंदर की बेटी है। चूंकि पक्षकार जाति के आधार पर "गोंड" हैं, प्रतिवादी सं. 1, इसलिए बेटी होने के नाते, अपने पिता की मृत्यु के तुरंत बाद अपने भाइयों के साथ कोई अधिकार प्राप्त नहीं कर सकी, परन्तु चूंकि प्रतिवादी सं. 1 ने वादपत्र के साथ संलग्न अनुसूची "सी" के राजस्व अभिलेख में अपना नाम पर नामांतरित कर लिया है और 30.10.1993 दिनांकित बंटवारे का आदेश प्राप्त किया है, अतः उपरोक्त अनुतोषों हेतु 29.03.1994 को वर्तमान व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2.3) प्रतिवादी सं. 1 ने लिखित कथन प्रस्तुत कर वादी द्वारा किए गए दावों का खंडन किया। उसने अभिवाक् किया कि यद्यपि वे जाति से गोंड हैं परन्तु हिंदू विधि द्वारा शासित हैं। उन्होंने आगे अभिवाक् किया कि उनकी जाति में बेटी को बेटे की तरह पिता की संपत्तियों में अपना अधिकार मिलता है और उसे उसके पिता द्वारा अपने जीवनकाल में ही संपत्ति में एक तिहाई हिस्सा दिया गया था अतः वह वादपत्र के साथ संलग्न अनुसूची "**C**" में दिखाए गए वाद भूमि में एक तिहाई हिस्से की हकदार है।

(3) विचारण न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर वादी के वाद में यह अभिनिर्धारित करते हुए डिक्री प्रदान की कि गोंड जाति में बेटियां बेटे की उपस्थिति में अपने पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी नहीं होती हैं और प्रतिवादी सं. 1 यह स्थापित

करने में विफल रही है कि वह वादी के पिता की घरजीहा बेटी है और उसे उसके पिता ने अपने जीवनकाल में अपना एक तिहाई हिस्सा दिया था।

(4) प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपील दायर किए जाने पर, प्रथम अपीली न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर दिया जिसमें कहा गया था कि प्रतिवादी सं. 1 को उसके पिता द्वारा उसकी शारीरिक अक्षमता (एक आंख के कारण) के कारण मानवीय आधार पर संपत्ति में एक तिहाई हिस्सा दिया गया था और इस तरह वह वाद भूमि के एक तिहाई हिस्से की स्वामीनी बन गई है।

(5) प्रथम अपीली न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री पर प्रश्न करते हुए, अपीलार्थियों/वादियों द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है जिसमें विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें निर्णय के शुरुआती कण्डिका में सम्मिलित किया गया है विचारार्थ तैयार किए गए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) अपीलार्थियों/वादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ए. के. प्रसाद निवेदन करते हैं कि विचारण न्यायालय ने स्पष्ट रूप से एक तर्कपूर्ण निष्कर्ष द्वारा अभिनिर्धारित किया है कि पक्ष गोंड जाति द्वारा शासित हैं, जिसमें बेटियों को पिता की संपत्ति में बेटे की तरह कोई हिस्सा नहीं मिलता है। और प्रतिवादी सं. 1 यह साबित करने में विफल रहा है कि वह वादी के पिता की घरजीहा बेटी थी। वे आगे तर्क करते हैं कि प्रतिवादी सं.1 को मानवीय आधार पर कोई संपत्ति नहीं मिल सकती है, जब तक कि उस संबंध में न्यायनिर्णयन के लिए कोई मुद्दा न हो, क्योंकि संपत्ति का अधिकार विधि के बल वाले उपबंधों द्वारा शासित होता है, इस प्रकार, प्रथम अपीली न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और डिक्री को अपास्त किए जाने योग्य है और विचारण न्यायालय की डिक्री को पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए, और इस प्रकार वाद डिक्री के योग्य है।

(7) इसके विपरीत, सुश्री प्रियंका मेहता, उत्तरवादी सं. 1/ प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रथम अपीली न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री का समर्थन

करते हुए तर्क किया कि प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपील सारहीन है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए।

(8) मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और गए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख सहित आक्षेपित निर्णय व डिक्री का परिशीलन किया है।

(9) विचारण न्यायालय के साथ-साथ प्रथम अपीली न्यायालय ने स्पष्ट रूप से एक निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि पक्षकार जाति के आधार पर गोंड हैं जिनमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के उपबंध लागू नहीं होते हैं। प्रथम अपीली न्यायालय ने यह पाया कि गोंड जाति में बेटी को घरजीहा बेटी के रूप में रखा जा सकता है, परन्तु आगे यह पाया कि घरजीहा बेटी का तथ्य स्थापित नहीं हुआ है, वादी के वाद को खारिज कर दिया, परन्तु वादी के प्रकरण को विशेष प्रकरण के रूप में माना कि उसके पिता ने उसकी शारीरिक अक्षमता के कारण उसे हिस्सा दिया था और उस आधार पर विचारण न्यायालय के डिक्री को अपास्त कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) प्रतिवादी सं. 1 यह साबित करने में बुरी तरह विफल रही थी कि वह उत्तराधिकार द्वारा वादी के साथ अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने की हकदार है क्योंकि वह अपने पिता की घरजीहा बेटी थी। प्रतिवादी को मानवीय आधार पर कोई संपत्ति नहीं मिल सकती है क्योंकि संपत्ति का अधिकार मृतक के उत्तराधिकारियों और विधिक प्रतिनिधि को संपत्ति के हस्तांतरण के निर्धारित नियमों द्वारा शासित होता है। मानवीय आधार पर न्यायालयों द्वारा संपत्ति का अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता है क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300-क के तहत संपत्ति का अधिकार है और विधि के अनुसार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, उसने यह अभिवाक् कर साबित नहीं किया कि उसे उसके पिता द्वारा उसकी शारीरिक अक्षमता (एक आंख के कारण) के कारण वाद संपत्ति में कोई हिस्सा

दिया गया था और न ही इस पर विवाद्यक तैयार कर विचारण किया गया था, जैसे कि, प्रथम अपीली न्यायालय के सुविचारित निर्णय व डिक्री को अपास्त करने में पूरी तरह अन्यायपूर्ण है।

(11) पूर्वगामी बातों को ध्यान में रखते हुए, प्रथम अपीली न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को पुनर्स्थापित किया जाता है। परिणामस्वरूप द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है तथा वादी के वाद में डिक्री प्रदान की जाती है। विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर तदानुसार दिया जाता है। वाद-व्यय के संबंध कोई आदेश नहीं।

(12) तदानुसार एक डिक्री तैयार की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील सं. 286/ 2002

अपीलार्थी : हरि राम व अन्य

बनाम

उत्तरवादी : श्रीमती केन्दी व एक अन्य

शीर्ष टिप्पण

संपत्ति पर अधिकार विधि के अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए यह न्यायालय द्वारा केवल मानवीय विचार पर प्रदान नहीं किया जा सकता है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**